न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2024 (राजसमन्द डिक्री)

1. भोपालसिंह पिता कुन्दनसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भैरूसिंह पिता खीमसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भगवतसिह पिता हुक्मसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजेन्द्रसिंह पिता कुन्दनसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. भैरूसिंह पिता कुन्दनसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती संतोष कंवर पुत्री कुन्दनसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती प्रेम कंवर बेवा कुन्दनसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. उदयसिंह पिता मूलसिंह जी चुण्डावत राजपूत, निवासी नवलसिंहजी का खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी आमेट दिनांक
28–08–2018 प्रकरण संख्या 6/2012

———/———

उपस्थित :– 1– श्री डी.एस. कर्णावत अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री एस. एम. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

————

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 14–05–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' वर्णित आराजी नंबर 657 से 659, 694 से 703, 705, 728, 730 से 732, 734, 747, 750, 755, 756, 758 से 761, 899/732, 900/732 कुल किता 29 रकबा 3.8500 हैक्टर भूमि ग्राम नवलसिंह का खेड़ा, तहसील आमेट में स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का है। भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से विकास नहीं हो पा रहा है। अतः वाद पत्र के परिशिष्ट ''अ'' अंकित आराजियात का वादी के 1/3 हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–10–2016 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28–08–2018 को अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08–07–2022 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी, जिसे अपीलान्ट/प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 15–04–2024 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाकर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर का रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये।

3. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह कर्णावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्टगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण उक्त विभाजन से सहमत नहीं हैं। आराजी नंबर 756 के तीन हिस्से कर दिये गये, जबकि सभी भूमियों में एक व दो हिस्से किये गये तथा एक हिस्से अपीलान्ट को आगे दिया गया एवं एक हिस्सा पीछे दिया गया। आधे–आधे हिस्से क्यों नहीं किये गये। अतः अपील स्वीकार कर अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अंतिम डिक्री जारी की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1985 Page 694, AIR 1966 (SC) Page 323, AIR 1976 (SC) Page 807 प्रस्तुत की।

5. उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट एक ही परिवार के होकर मूल पुरूष अनोपसिंह के तीन पुत्र मूलसिंह, हुकमसिंह एवं खिमसिंह थे, जिसमें प्रत्येक पुत्र का 1/3, 1/3 हिस्सा है। मूलसिंह के वारिस अपीलान्ट संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 हैं तथा खिमसिंह का वारिस अपीलान्ट संख्या 2 व हुकमसिंह का वारिस रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 है। अपीलान्ट का मुख्य आरोप यह है कि आराजी नंबर 756 के तीन टुकड़े क्यों किये गये, क्योंकि इस आराजी पर अनोपसिंह के तीनों पुत्रों से बाड़े बनाकर मौके पर तीन हिस्से कर रखे थे जिसमें मवेशी व घास फूस रखते हैं। इसलिए इस आराजी का तीन हिस्सों में विभाजन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड एवं स्वयं पक्षकारान की स्वीकारोक्ति अनुसार विवादित आराजीयात अनोपसिंह के समय की होकर उनके तीनों पुत्रों मूलसिंह, हुकमसिंह एवं खिमसिंह प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है। पूर्व में अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15–03–2018 [illegible] की जा चुकी है। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested

अब प्रारम्भिक डिक्री बाबत पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है। यह अंतिम डिक्री दिनांक 28–08–2018 के विरूद्ध है, जिसमें अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि अंतिम डिक्री में आराजी नंबर 756 के तीन टुकड़े कर दिये गये जबकि आराजी अन्य आराजियात एक या दो हिस्से ही किये गये। इस संबंध में रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में स्पष्ट कर दिया है कि आराजी नंबर 756 के मौके पर तीन टुकडे होकर तीनों भाईयों के बाड़े बने हुए हैं, जिस पर उनके द्वारा मवेशी व घास फूस रखे जाते है। उक्त आपत्ति अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी उठायी गयी थी, जिसका अंतिम डिक्री में निस्तारण कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 01–11–2023 की एक अन्य अंतिम डिक्री संलग्न है, किन्तु उक्त डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं होने से उस पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–08–2018 को जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनका हमने अध्ययन किया, किन्तु उक्त न्यायिक नजीरों के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 28–08–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

भोपालसिंह पिता कुन्दनसिंह चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा, तह0 आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

भगवतसिंह पिता हुकमसिंह चुण्डावत निवासी नवलसिंह जी का खेड़ा, तह. आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं०...**2 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....**...आमेट**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....**28.....माह.....08.....**.....2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14.**....माह.....05**.**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री डूंगरसिंह कर्णावत**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री श्याम सुन्दर पालीवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 28–08–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14.**.....माह.....**.05**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested